JETIR.ORG ISSN: 2349-5162 | ESTD Year : 2014 | Monthly Issue
JOURNAL OF EMERGING TECHNOLOGIES AND INNOVATIVE RESEARCH (JETIR)
An International Scholarly Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना का क्रियान्वयन एवं विश्लेषण

डॉ. मीना कीर
सहायक प्राध्यापक (वाणिज्य)
शा. नर्मदा महाविद्यालय, नर्मदापुरम (म.प्र.)

आज विश्व के लगभग सभी देश महिलाओं के विकास एवं सशक्तिकरण पर बल दे रहे हैं, क्योंकि यह सर्वविदित हो चुका है कि महिलाओं के विकास से ही परिवार, समाज एवं राष्ट्र का विकास सम्भव है। वर्तमान में समाज के बदलते परिवेश ने जहॉ व्यक्ति को आधुनिकता की दौड़ में शामिल किया है वहीं महिलाएं भी अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होती जा रही हैं। भारत के संविधान निर्माताओं ने भी इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए महिलाओं के लिये पृथक आरक्षण का प्रावधान रखा है, जिससे महिलाएं जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ सकें तथा देश के विकास में अपना योगदान दे सकें।

महिलाओं का सशक्तिकरण मध्यप्रदेश सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। समाज के विकास में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करना, उनके सम्मान एवं गरिमा की रक्षा करना तथा समाज में महिलाओं एवं बालिकाओं के पति सकारात्मक सोच का वातावरण निर्मित करने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश सरकार द्वारा कई योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। मध्यप्रदेश सरकार ने कन्या के जन्म से लेकर उसके पालन पोषण, शिक्षा और कन्यादान तक की योजनाओं को अस्तित्व में लाकर गरीबी रेखा से नीचे जोवन यापन करने वाले परिवारों के विकास के लिये एक नई राह का निर्माण किया है। मध्यप्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना इसी क्रम में एक अनूठा कदम है।

अध्ययन का उद्देश्य –

मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना के विभिन्न पक्षों का विश्लेषण करना, योजना का जनमानस में प्रचार–प्रसार करना तथा समाज में महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के प्रति सकारात्मक सोच का वातावरण निर्मित करना ही इस शोधपत्र का उद्देश्य है।

शब्द कुंजी – सामाजिक कुरीतियां, महिला सशक्तिकरण, योजना, विकास।

मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना – एक परिचय –

मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना, मध्यप्रदेश सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित एक स्वावलंबन योजना है, जो वर्ष 2013 से निरंतर जारी है। महिला स्वावलंबन हेतु संचालित इस योजना का समग्र उद्देश्य प्रदेश की विपदाग्रस्त, पीड़ित, असहाय, निराश्रित, निर्धन एवं जरूरतमंद महिलाओं को उनकी योग्यता के आधार पर रोजगार उपलब्ध कराते हुए उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने हेतु सहायता प्रदान करना है, जिससे वे अपने एवं अपने परिवार का भरण–पोषण करते हुए समाज की मुख्य धारा में समाहित हो सकें। इस योजना को वर्ष 2015 में स्कॉच गोल्ड अवार्ड प्राप्त हुआ है।[1]

योजना के उद्देश्य –

किसी भी प्रकार की हिंसा से पीड़ित एवं विकट परिस्थितियों में किसी भी प्रकार की सहायता से वंचित असहाय, निराश्रित, विपदाग्रस्त व पीड़ित महिलाओं को परिवार व समाज में पुनर्स्थापित करने हेतु विशेष सहायता के लक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए इस योजना का शुभारंभ सितम्बर 2013 में किया गया है। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य पीड़ित महिला को आत्मनिर्भर बनाने के लिये कौशल उन्नयन प्रशिक्षण कार्यक्रम से जोड़ना है, जिससे वह अपना एवं अपने परिवार का भरण–पोषण कर सके। इस योजना के अन्य प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं –

1. आपात स्थिति में पीड़ित महिला की सहायता करना।
2. पीड़ित महिला को आत्मनिर्भर बनाने हेतु कौशल उन्नयन प्रशिक्षण कार्यक्रम से जोड़ना।
3. पीड़ित महिला को स्वरोजगार के लिये प्रेरित करते हुए उसे आत्मनिर्भर बनाना।
4. पीड़ित महिला का आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक स्तर बढ़ाते हुए उसे समाज में पुनर्स्थापित करना।

पात्र समूह –

मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरणयोजना का लाभ प्राप्त करने हेतु पात्र समूह निम्नलिखित हैं–

1. बलात्कार से पीड़ित महिलाएं अथवा बालिकाएं, जो आत्मनिर्भर होना चाहती हों।
2. दुर्व्यापार से बचाई गई महिलाएं, जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करती हों।
3. जेल से रिहा अथवा जेल में बंद महिलाएं, जो आत्मनिर्भर होना चाहती हों।
4. एसिड अटैक से ग्रस्त महिलाएं अथवा बालिकाएं।
5. गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाली परित्यक्ता अथवा तलाकशुदा महिलाएं।

6. शासकीय एवं अशासकीय आश्रय गृह, अनुरक्षण गृह, बालिका सुधार गृह आदि में निवासरत विपत्तिग्रस्त महिलाएं अथवा बालिकाएं।
7. बाल विवाह पीड़ित, दहेज प्रताड़ित अथवा अग्नि पीड़ित महिलाएं।

योजना का क्रियान्वयन –

इस योजना के अंतर्गत महिला हितग्राहियों का चयन जिला स्तर पर गठित समिति द्वारा किया जाकर उनके सामाजिक एवं आर्थिक कल्याण हेतु स्थायी रूप से प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, जिससे उन्हें रोजगार की प्राप्ति हो सके।

हितग्राहियों के प्रशिक्षण हेतु ऐसी संस्थाओं का चयन किया जाता है, जिनकी डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट, प्रमाणपत्र आदि समस्त शासकीय एवं अशासकीय संस्थाओं में मान्य हों। प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षण शुल्क, आवासीय व्यवस्था शुल्क, भोजन आदि का समस्त व्यय महिला सशक्तिकरण संचालनालय द्वारा वहन किया जाता है। योजना के अंतर्गत के पात्रता सम्बंधी मापदण्ड निम्नानुसार निर्धारित हैं –

1. आवेदिका के परिवार का मुखिया गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करता हो। (बलात्कार से पीड़ित, जेल से रिहा, एसिड अटैक से ग्रस्त, बाल विवाह पीड़ित, दहेज प्रताड़ित अथवा अग्नि पीड़ित, मान्यता प्राप्त आश्रय गृह, अनुरक्षण गृह, बालिका सुधार गृह, नारी निकेतन आदि में निवासरत महिलाओं को इस शर्त से छूट है।)
2. आवेदिका मानसिक रूप से विक्षिप्त नहीं होना चाहिये।
3. सामान्य वर्ग की आवेदिका की आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिये। (विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग की आवेदिका हेतु आयु सीमा 50 वर्ष है।)
4. आवेदिका की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य रूप से प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के अनुरूप होना चाहिये। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता धारण न करने की स्थिति में आवेदिका को योग्यतानुसार प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।
5. प्रशिक्षण के दौरान महिला हितग्राही को 500 रूपये प्रति माह शिष्यवृत्ति प्रदान की जाती है।
6. प्रशिक्षण हेतु विषय का चयन फार्मेसी, नर्सिंग, फीजियोथेरेपी, दाई/आया/परिचारिका, ब्यूटीशियन, कुकिंग/बैंकिंग का अल्पकालीन मैनेजमेंट कोर्स, आईटीआई/पॉलीटेक्निक कोर्स, होटल/ईवेंट मैनेजमेंट का कोर्स, हॉस्पिटलिटी कोर्स एवं अन्य कोर्स जो शासन द्वारा समय–समय पर निर्धारित किये जाते हैं, में से किया जाता है।

7. पात्र हितग्राहियों के प्रशिक्षण हेतु संस्था का चयन करते समय शासकीय संस्थानों, यथा– आईटीआई/पॉलीटेक्निक आदि को प्राथमिकता दी जाती है। इन संस्थानों के उपलब्ध न होने की स्थिति में अन्य मान्यता प्राप्त संस्थानों का प्रशिक्षण संस्था हेतु चयन किया जाता है।

योजना की उपलब्धियां –

मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना की विगत् वर्षों की उपलब्धियां निम्न तालिका में प्रदर्शित हैं –

तालिका – 1

मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त हितग्राहियों की संख्या

वर्ष	चयनित हितग्राही	प्रशिक्षण प्राप्त हितग्राही
2013–14	426	426
2014–15	577	577
2015–16	817	709
2016–17	494	494
2017–18	388	388
2018–19	478	478
2019–20	382	382
2020–21	276	276
2021–22	552	552
2022–23	387	387

स्त्रोत –मध्यप्रदेश का आर्थिक सर्वेक्षण/2013–14 से 2022–23

वर्ष 2013–14 से वर्ष 2022–23 तक प्रदेश की किसी भी प्रकार की सहायता से वंचित असहाय, निराश्रित, विपदाग्रस्त व पीड़ित महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाते हुए समाज की मुख्य धारा में पुनर्स्थापित करने के लिये मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत 4132 महिलाओं को विभिन्न विधाओं, यथा – फॉर्मसी, नर्सिंग, फीजियोथेरेपी, आया/दाई2वार्ड परिचर, ब्यूटिशियन, कुकिंग/बेकिंग, आई.टी.आई./पॉलीटेक्निक/कम्प्यूटर कोर्स, हॉस्पिटालिटी, होटल/इवेंट मैनेजमेंट, बी.एड./डी.एड. आदि विधाओ में प्रशिक्षित किया गया।

तालिका – 2

मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना अंतर्गत ट्रेडवार संख्या (वर्ष 2021–22)

क्रमांक	ट्रेड का नाम	हितग्राही संख्या
1	सिलाई, कटिंग, फैशन डिजाइनिंग, वस्त्र निर्माण, गारमेंट्स बनाना एवं अन्य सम्बंधित कार्य	324
2	आई.टी.आई./पॉलीटेक्निक	19
3	ब्यूटिशियन/कॉस्मेटोलॉजी	98
4	नर्सिंग, जी.एन.एम., ए.एन.एम. कोर्स	07
5	ड्रेसर एवं असिस्टेंट/वार्ड परिचर/ऑपरेशन थियेटर असिस्टेंट/डेरी फार्मिंग एवं कम्पोस्ट मेकिंग	14
6	पेपर एन्वेलप/कपड़ों के बैग/जूट वर्क	18
7	शार्ट टर्म मैनेजमेंट कोर्स (कुकिंग/बेकिंग)	26
8	डी.एड./बी.एड.	02
9	कम्प्यूटर एवं कम्प्यूटर नेटवर्किंग, प्रोग्रामिंग, डाटा एंट्री ऑपरेटर	14
10	बस कंडक्टर, क्राफ्ट मेकिंग, सिक्योरिटी गार्ड, ड्रायविंग लायसेंस, अन्य	30
	कुल योग	552

स्त्रोत –प्रशासकीय प्रतिवेदन/महिला एवं बाल विकास विभाग/वर्ष 2021–22

तालिका – 3

मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना अंतर्गत श्रेणीवार संख्या (वर्ष 2021–22)

क्रमांक	विपदाग्रस्त महिलाओं की लक्ष्य समूह श्रेणी	हितग्राही संख्या
1	विपदाग्रस्त महिला/यौन उत्पीड़िता	28
2	जेल रिहा/जेल में बंद	78
3	बलात्कार पीड़िता	02
4	विधवा/तलाकशुदा/परित्यकता	210

5	दहेज पीड़िता	27
6	शासकीय गृह/अशासकीय गृह में निवासरत	82
7	घरेलू हिंसा पीड़िता	91
8	अन्य प्रकार (वन स्टॉप सेंटर से प्राप्त)	34
	कुल योग	552

स्त्रोत –प्रशासकीय प्रतिवेदन/महिला एवं बाल विकास विभाग/वर्ष 2021–22

निष्कर्ष –

महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण हेतु मध्यप्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न प्रशिक्षण योजनाएं एवं कौशल विकास कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किया जा रहा है। तेजस्विनी ग्रामीण महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम, मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना, ममत्व मेला, ई–हाट योजना, स्टेप योजना, गौ–संवर्धन योजना के अतिरिक्त महिला उद्यमियों के लिये विशेष ऋण एवं प्रशिक्षण सुविधाएं महिला विकास का मार्ग प्रशस्त करती हुई दृष्टिगोचर हो रही हैं। निःसंदेह महिलाओं की गरिमा और उनके अस्तित्व को बनाये रखना आज सबसे बड़ी चुनौती है। सरकार द्वारा महिलाओं के सम्बंध में समय–समय पर कल्याणकारी योजनाएं बनाने और संविधान में उन्हें यथेष्ठ संरक्षण प्रदान करने के बावजूद आज भी नारी यदि शोषित, पीड़ित, गरीब और लिंग आधारित विषमता की शिकार है तो उसका एक महत्वपूर्ण कारण पुरूष की मनोवृत्ति में अपेक्षित बदलाव न आना है। इसके लिये हमारे नीति निर्माताओं को महिलाओं के लिये संवेदनशील रवैया अख्तियार करते हुए उनके लिये और बेहतर कल्याणकारी योजनाओं के निर्माण के साथ इन योजनाओं के निर्माण में उनकी समुचित भागीदारी को भी सुनिश्चित करना होगा। आज भी प्रदेश के कई जिलों में उच्च स्तर की लैंगिंग असमानता है, जहॉ महिलाएं अपने परिवार के साथ–साथ बाह्य समाज के बुरे आचरण से पीड़ित हैं। अर्ध–शहरी क्षेत्रों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी महिलाओं की स्थिति में कोई विशेष सुधार दिखाई नहीं देता है। महिला सशक्तिकरण का सही अर्थ तब विकसित हो सकेगा जब उन्हें अच्छी शिक्षा दी जायेगी और उन्हें इस योग्य बनाया जा सकेगा कि वे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में स्वतंत्र होकर फैसले ले सकें।

संदर्भ –

1. मध्यप्रदेश का आर्थिक सर्वेक्षण, 2020–21, 2021–22 एवं 2022–23
2. प्रशासकीय प्रतिवेदन, महिला एवं बाल विकास विभाग, 2021–22, 2022–23
3. दैनिक भास्कर, ई–समाचार पत्र।
4. दैनिक जागरण, ई–समाचार पत्र।
5. मध्यप्रदेश की महिला नीति–2015